



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/571

दिनांक: 03.10.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के पैरा 2.35 में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ: डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना 23/2025-26 दिनांक 01-10-2025

यह सूचित किया जाता है कि डीजीएफटी कार्यालय ने प्रतिबंधित आयातों के लिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरएस) द्वारा अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र (ईयूसी) जारी करने के प्राधिकरण के संबंध में प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 2.35 में संशोधन के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।

मौजूदा प्रावधान

अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र: भारत में किसी भी स्वतंत्र रूप से आयात योग्य वस्तु के आयात के मामले में, यदि कोई विदेशी सरकार अपने देश से उस वस्तु के निर्यात की अनुमति देने से पहले, उस वस्तु के अंतिम उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण पर ज़ोर देती है, तो आरए परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2Q के अनुसार ऐसे प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। यह प्रमाणपत्र एएनएफ 2जे के तहत निर्धारित दस्तावेजों के साथ किए गए आवेदन के आधार पर जारी किया जाएगा।

संशोधित प्रावधान

भारत में किसी भी निःशुल्क/प्रतिबंधित वस्तु के आयात के मामले में, यदि कोई विदेशी सरकार अपने देश से उस वस्तु के निर्यात की अनुमति देने से पहले उस वस्तु के अंतिम उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण पर ज़ोर देती है, तो क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2Q के अनुसार अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र (ईयूसी) जारी कर सकता है। यह प्रमाणपत्र एएनएफ 2जे के तहत दिए गए आवेदन और उसमें निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर जारी किया जाएगा।

बशर्ते कि, प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के मामले में, आयात शुल्क प्राधिकरण (आरए) द्वारा केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए ईयूसी जारी किया जाएगा जिनके संबंध में डीजीएफटी द्वारा प्रतिबंधित प्राधिकरण प्रदान किया गया है और वह वैध है। ईयूसी में मात्रा और मूल्य, उक्त प्रतिबंधित प्राधिकरण में निर्दिष्ट मात्रा और मूल्य तक ही सीमित होना चाहिए।

कृपया यहां सार्वजनिक सूचना देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20251003111014.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल